



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1  
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

---

सं. 251] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 26, 2018/श्रावण 04, 1940  
No. 251] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 26, 2018/SHRAVANA 04, 1940

---

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय  
(वाणिज्य विभाग)  
(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

सार्वजनिक सूचना  
नई दिल्ली, 26 जुलाई, 2018  
सं. 24/2015-2020

विषय : प्रक्रिया पुस्तक 2015-20 के परिशिष्ट 3क से सभी मदों को हटाना।

फा. सं. 01/61/180/32/एम 19/पीसी-3.—विदेश व्यापार नीति 2015-2020 के पैरा 1.03 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्वारा दिनांक 01.04.2015 की सार्वजनिक सूचना सं. 01/2015-20 के तहत इस महानिदेशालय द्वारा पहले जारी किए गए एमईआईएस के परिशिष्ट 3क में निम्नलिखित संशोधन करते हैं:

2. परिशिष्ट 3क के तहत विनिर्दिष्ट सूची में मद क्र. सं. 01 से 07 को तत्काल प्रभाव से हटाया जाता है।

सार्वजनिक सूचना का प्रभाव: पहले अनुमत नहीं किए गए मदों के आयात के लिए अध्याय 3 के ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्स को डेबिट की अनुमति दी गई है।

आलोक वर्धन चतुर्वेदी, महानिदेशक

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY****(Department of Commerce)****(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)****PUBLIC NOTICE**

New Delhi, the 26th July, 2018

**No. 24 /2015-2020****Subject: Removal of all items from the Appendix 3A of the Handbook of Procedures, 2015-20.**

**F. No. 01/61/180/32/AM19/PC-3.**—In exercise of powers conferred under paragraph 1.03 of the Foreign Trade Policy 2015-2020, the Director General of Foreign Trade hereby makes the following amendments in the Appendix 3A of MEIS, issued earlier by this Directorate, vide Public Notice 01/2015-20 dated 01.04.2015.

2. The items Serial no. 01 to 07 in the list specified under Appendix 3A are deleted with immediate effect.

**Effect of Public Notice:** Chapter 3 duty credit scrips are allowed for debit for import of items which were earlier not permitted.

ALOK VARDHAN CHATURVEDI, Director General